62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/3232 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31.8.17 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 574/अपील/2013—14.

.....

रामकिशोर पुत्र रामधारी गुप्ता
निवासी ग्राम नौगंवाधीर सिंह तहसील
गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

1—राममिलन
2—रामपाल
3—धर्मराज पुत्रगण पियारे गुप्ता
4—मुन्नीलाल 5—राजमणि गुप्ता
पुत्रगण विन्द्र गुप्ता
6—मुस0 चमेलिया पत्नी स्व0 रामधारी गुप्ता
निवासीगण ग्राम नौगंवाधीर सिंह तहसील
गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

---- अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 20-6-2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय आधिकारी गोपद बनास जिला सीधी द्वारा पारित आदेश 31.8.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामकिशोर तनय रामधारी वानी निवासी नौगवाधीर सिंह के द्वारा नायब तहसीलदार गिर्ग–2 तहसील गोपद बनास जिला सीधी के न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115/116 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नौगवाधीर सिंह की आराजी क्रमांक 667/0.46 डि0, 662/0.027 डि0, 664/0.16 डि0 665/0.23 डि0 666/0.50 डि0 किता 5 कुल रकवा 1.35 डि0 का आवेदन दिया जाकर हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 1985–86 से पूर्व कब्जा था राजस्व अभिलेख में कब्जा दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से एवं राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 12.2.2001 को कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये जिससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो 574/अपील/2013–14 पर दर्ज की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा दिनांक 31.8.17 आवेदक का धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास की आज्ञा कानूनन सही नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। तर्क में यह भी कहा गया है कि

अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अनावेदक कमांक–1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत अपील सरासर अवधि वाह्य थी। आदेश पत्रिका दिनांक 24.7.17 को आवेदक को सुने बगैर ही धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु प्रकरण नियत किया है किन्तु दिनांक 31.8.17 को गुण दोष के आधार पर निराकरण के पमर्व ही धारा–5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश भी दिया जो न्यायोचित एवं वैधानिक न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को सुनवाई हेतु नियत दिनांक 23.7.17 को प्रकरण सुनवाई हेतु नहीं लिया जो दिनांक 24.7.17 को लिया गया, की एवं 31.8.17 की कोई सूचना भी प्रार्थी को न थी और न ही न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी स्थिति में विवादित आदेश जो पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास का आदेश दिनांक 31.8.17 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को कभी किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई और नहीं म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 41 की अनुसूची में बने नियम का पालन किया गया बल्कि संपूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व तरीके से की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्तगी योग्य है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारायह भी कहा गया है कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 41 की अनुसूची 1 के अंन्तर्गत जो समन्स तामीली के नियम बने है उसके अनुसार समन तामीली नियम 4, 5, 6 के अन्तर्गत

सम्मन तामील न होने की दशा में जरिये चस्पानगी समन तामीली का प्रावधन है किन्तु नियम 8 का पालन किया जाना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त नियमों का कतई पालन नहीं किया गया जिससे आदेश अधीनस्थ न्यायालय का निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि विवादित भूमियां हिस्सा 1/2 अनावेदक के स्वत्व अधिपत्य एवं कब्जे दखल की भूमियों है उक्त भूमि अनावेदकगण के पिता की स्वअर्जित भूमि है अनावेदक भूमि हिस्सा 1/2 पर आवेदक काकिसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया तथा आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि आवेदित भूमि पर वर्ष 1985–86 के पूर्व मेरा कब्जा दर्ज था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दर्ज नहीं किया जा रहा है। अतः कब्जा दर्ज कराया जाय । धारा 115, 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि को शुद्विकरण का अधिकार विचारण न्यायालय को है जिसकी परिसीमा एक वर्ष है। नई प्रविष्टि करने का अधिकार अधीनसी न्यायालय को कतई नहीं है क्यों कि अपीलाधीन भूमि पर आवेदक का कभी कब्जा दर्ज नहीं था किन्तु अधीनसी न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कतई गौर न करके अधिकार से परे आदेश पारित कर वैधानिक भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.8.17 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यो को दौहराया गया है जो उनके निगरानी मेमों में तथ्य अंकित थे। प्रकरण में संलग्न

अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास की आदेश पत्रिका दिनांक 11.7.17 पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के हस्ताक्षर बने हुये है। आदेश पत्रिका दिनांक 24.7.17 को अनावेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये है। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये है। आदेश पत्रिका में लेख है कि उभयपक्ष चाहे तो अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर सकते है। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है क्यों कि प्रकरण 4 वर्षो से लंबित था, **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित।** इसलिये अनुविभागीय अधिकारी गोबद बनास के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 574/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर